न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम , चित्रकूट|

उपस्थित-वसुन्धरा शर्मा - (न्यायिक सेवा उ०प्र०)

रामलखन कुशवाहा बनाम अज्ञात

एफ० आर० नं०- 183/2019
CNR N.-UPCH04003273-2019
अपराध सं०- 103/2017
धारा- 279, 337, 338, 304A भा० दं० सं०
थाना-रैपुरा , जिला -चित्रकूट|

10.02.2023

पत्रावली पेश हुई| पुकार पर वादी मुकदमा मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित|

अपराध सं०-103/2017, थाना- रैपुरा के प्रकरण में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे दर्ज करके वादी मुकदमा को नोटिस दी गई| वादी मुकदमा को आपत्ति /प्रोटेस्ट दाखिल करने हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है परन्तु अन्तिम आख्या पर वादी मुकदमा की ओर से कोई आपत्ति/प्रोटेस्ट दाखिल नहीं किया गया है और न ही कोई मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है|

पत्रावली का अवलोकन किया|

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा ने अज्ञात के विरूद्ध अपराध० सं० - 103/2017, धारा-279, 337, 338, 304A भा० दं० सं० प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में पंजीकृत करायी थी| मामले में विवेचक द्वारा निरीक्षण घटनास्थल, बयान वादी, बयान संदेही, पतारसी सुरागरसी आदि से अभियोग के अनावरण नहीं हो सकने के आधार पर अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है| नोटिस के बावजूद वादी मुकदमा द्वारा आज तक प्रस्तुत एफ० आर० पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है| माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Pradeep Kumar Srivastava v. State of U.P. (Crim. Misc. Case No. 2520 of 2012)** के मामले में तथा सर्कुलर **C.L. No. 31/2012/Admin"G-II" dated:11.12.2012 Allahabad** द्वारा अन्तिम रिपोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया है| अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी मुकदमा रामलखन कुशवाहा की ओर से कोई आपत्ति/प्रोटेस्ट न दाखिल करने के दृष्टिगत अन्तिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है|

आदेश

अंतिम आख्या सं०- 183/2019 स्वीकार की जाती है| तदनुसार पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो|

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
चित्रकूट|
J.O.CODE-UP 3394

Digitally signed by Vasundhara Sharma
Date: 2023.02.10 17:18:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court